

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवार्यें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / ट्रेनिंग / 2010 / 11

दिनांक : 06/01/2010

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से संबंधित प्रशिक्षण 18-20 जनवरी, 2010 के लिये एक अधिकारी एवं एक कार्मिक को मनोनीत कर प्रशिक्षण में भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ :- प्रोग्राम निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर का पत्र क्रमांक 9691 दिनांक 17.12.09 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से जो अधिकारी एवं कर्मचारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से संबंधित कार्यों का सम्पादन करते हैं, उनमें से एक अधिकारी एवं एक कार्मिक को उक्त प्रशिक्षण हेतु आप उक्त संस्थान के पटेल भवन, कमरा नं. 17, समय प्रातः 9:30 बजे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मनोनीत करते हुए उक्त प्रशिक्षण के लिये दिनांक 18-20 जनवरी, 2010 तक के लिये कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को भी सूचित करें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / ट्रेनिंग / 2010 / 11

दिनांक : 06/01/2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रोग्राम निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर का पत्र क्रमांक 9691 दिनांक 17.12.09 के सन्दर्भ में।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें,
राजस्थान जयपुर।